



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032026-271007
CG-DL-E-17032026-271007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1301]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1301]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1360(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में NH 552 Ext. मुरैना बायपास - अम्बाह बायपास - पोरस बायपास रोड, सेक्शन - 3 के अंतर्गत कि मी 43.25 से 89.86 कि मी तक भांडेर दतिया, 264.95 से 287.3 कि मी तक मुरैना, 310.1 से 344.1 कि मी तक अटेर भिंड, 344.1 से 358.58 कि मी तक भिंड, 0.00 से 43.25 कि मी तक लहार भिंड, 36.9 से 78.5 कि मी तक करहल श्योपुर, 0.00 से 36.9 कि मी तक श्योपुर, 287.3 से 310.1 कि मी तक अम्बाह मुरैना, 129.5 से 154.8 कि मी तक सबलगढ़ मुरैना, 78.5 से 129.5 कि मी तक विजयपुर श्योपुर और 238.95 से 264.995 कि मी तक मुरैना के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब-डिविजिनल मजिस्ट्रेट मुरैना, जिला मुरैना को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में NH 552 Ext. के कि.मी. 238.95 से 264.95 कि.मी. तक मुरैना बायपास (अतिरिक्त) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: मुरैना		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुरैना					
गांव का नाम: हिंगौना खुर्द					
1	2965	निजी	सिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
2	2966/1	निजी	सिंचित	0.058 (हेक्टेयर)	0.058
3	2996/1	निजी	सिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
4	3009/3/5	निजी	व्यावसायिक	0.047 (हेक्टेयर)	0.047
गांव का नाम: गंजरामपुर					
5	2747	निजी	सिंचित	0.06 (हेक्टेयर)	0.06
6	3121/2	निजी	सिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: मुरैना गाँव					
7	1713	निजी	आवासीय	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
8	1714/1	निजी	व्यावसायिक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
9	1714/2	निजी	व्यावसायिक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
10	1716/1	निजी	व्यावसायिक	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
11	1716/2	निजी	व्यावसायिक	0.003 (हेक्टेयर)	0.003
12	1725/1/1	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
13	1725/2	निजी	आवासीय	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
14	1863/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
15	1872/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
16	1873/1	निजी	सिंचित	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
17	1874/2	निजी	सिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007

18	1878/1/1	निजी	व्यावसायिक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
19	1878/2	निजी	सिंचित	0.063 (हेक्टेयर)	0.063
20	1880/3	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
21	2025	सरकारी	नहर	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
22	2026/1	निजी	सिंचित	0.122 (हेक्टेयर)	0.122
23	2028	निजी	व्यावसायिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
24	2037	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
25	2038/1/3/1/1/1	निजी	सिंचित	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
26	2038/1/3/2/1/2	निजी	व्यवसायिक	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
27	2038/1/4	निजी	आवासीय	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
28	2038/2	निजी	आवासीय	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
29	2040/1	निजी	सिंचित	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
30	2041/1	निजी	सिंचित	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
31	2041/2/1/1/1/2	निजी	आवासीय	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
32	525/11/2	निजी	व्यावसायिक	0.0201 (हेक्टेयर)	0.0201
गांव का नाम: अतरसूमा					
33	1051	सरकारी	रास्ता	0.041 (हेक्टेयर)	0.041
34	1072	निजी	सिंचित	0.542 (हेक्टेयर)	0.542
35	1073	निजी	सिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
36	1074	निजी	सिंचित	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
37	1098/1	निजी	आवसीय	0.3 (हेक्टेयर)	0.3
38	1098/2	निजी	आवसीय	0.21 (हेक्टेयर)	0.21
गांव का नाम: लालोर					
39	1647/2	निजी	सिंचित	0.211 (हेक्टेयर)	0.211
गांव का नाम: मुड़िया खेड़ा					
40	68	निजी	सिंचित	0.444 (हेक्टेयर)	0.444
गांव का नाम: जींगनी					
41	778	निजी	आवासीय	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
42	789	सरकारी	नहर	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
43	822/1	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
44	822/2	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005

45	822/3/1	निजी	सिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
46	822/3/2	निजी	आवासीय	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
47	858/2	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
48	867/1	सरकारी	सेडा	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
49	867/2	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
50	868	सरकारी	कुआं	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
51	869	निजी	सिंचित	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
52	870	निजी	सिंचित	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
53	872/1	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
54	872/2	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
55	872/3	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
56	873	निजी	आवासीय	0.011 (हेक्टेयर)	0.011
57	895	सरकारी	चारागाह	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
58	896/1/1	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
59	896/1/2	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
60	896/2	निजी	सिंचित	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
61	897/1	निजी	सिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
62	897/2	निजी	सिंचित	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
63	897/3	निजी	सिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
64	898	सरकारी	चारागाह	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
65	907	निजी	सिंचित	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
66	908	निजी	सिंचित	0.053 (हेक्टेयर)	0.053
67	909	निजी	सिंचित	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
68	914/1	निजी	सिंचित	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
Total					2.9291

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1360(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for

building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 552 Ext. Morena Bypass - Ambah Bypass - Porsa Bypass Road, Section-3, in the stretch of land from 43.25 to 89.86 Km of Bhandar Datiya, 264.95 to 287.3 km of Morena, 310.1 to 344.1 Km of Ater Bhind, 344.1 to 358.58 Km of Bhind, 0 to 43.25 Km Lahar Bhind, 36.9 to 78.5 Km of Karhal Sheopur, 0.00 to 36.9 Km of Sheopur, 287.3 to 310.1 Km of Ambah Morena, 129.5 to 154.8 Km of Sabalgarh Morena, 78.5 to 129.5 Km of Vijaypur Sheopur and 238.95 to 264.95 Km of Morena in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate Morena, District Morena in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 552 Ext. in the stretch of land from Km. 238.95 to Km. 264.95 of Morena Bypass (Additional) in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Morena					
Village: Hingauna Khurd					
1	2965	Private	Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009
2	2966/1	Private	Irrigated	0.058 (Hectare)	0.058
3	2996/1	Private	Irrigated	0.045 (Hectare)	0.045
4	3009/3/5	Private	Commercial	0.047 (Hectare)	0.047
Village: Ganjrapur					
5	2747	Private	Irrigated	0.06 (Hectare)	0.06
6	3121/2	Private	Irrigated	0.04 (Hectare)	0.04
Village: Morena Gaon					
7	1713	Private	Residential	0.013 (Hectare)	0.013
8	1714/1	Private	Commercial	0.004 (Hectare)	0.004
9	1714/2	Private	Commercial	0.004 (Hectare)	0.004
10	1716/1	Private	Commercial	0.003 (Hectare)	0.003
11	1716/2	Private	Commercial	0.003 (Hectare)	0.003
12	1725/1/1	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
13	1725/2	Private	Residential	0.016 (Hectare)	0.016

14	1863/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
15	1872/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
16	1873/1	Private	Irrigated	0.01 (Hectare)	0.01
17	1874/2	Private	Irrigated	0.007 (Hectare)	0.007
18	1878/1/1	Private	Commercial	0.04 (Hectare)	0.04
19	1878/2	Private	Irrigated	0.063 (Hectare)	0.063
20	1880/3	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
21	2025	Government	Canal	0.006 (Hectare)	0.006
22	2026/1	Private	Irrigated	0.122 (Hectare)	0.122
23	2028	Private	Commercial	0.01 (Hectare)	0.01
24	2037	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
25	2038/1/3/1/1/1	Private	Irrigated	0.018 (Hectare)	0.018
26	2038/1/3/2/1/2	Private	Commercial	0.002 (Hectare)	0.002
27	2038/1/4	Private	Residential	0.006 (Hectare)	0.006
28	2038/2	Private	Residential	0.002 (Hectare)	0.002
29	2040/1	Private	Irrigated	0.029 (Hectare)	0.029
30	2041/1	Private	Irrigated	0.011 (Hectare)	0.011
31	2041/2/1/1/1/2	Private	Residential	0.013 (Hectare)	0.013
32	525/11/2	Private	Commercial	0.0201 (Hectare)	0.0201
Village: Atarsuma					
33	1051	Government	Rasta	0.041 (Hectare)	0.041
34	1072	Private	Irrigated	0.542 (Hectare)	0.542
35	1073	Private	Irrigated	0.012 (Hectare)	0.012
36	1074	Private	Irrigated	0.053 (Hectare)	0.053
37	1098/1	Private	Residential	0.3 (Hectare)	0.3
38	1098/2	Private	Residential	0.21 (Hectare)	0.21
Village: Lalor					
39	1647/2	Private	Irrigated	0.211 (Hectare)	0.211
Village: Mudiya Kheda					
40	68	Private	Irrigated	0.444 (Hectare)	0.444
Village: Jigani					
41	778	Private	Residential	0.014 (Hectare)	0.014
42	789	Government	Canal	0.028 (Hectare)	0.028
43	822/1	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
44	822/2	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
45	822/3/1	Private	Irrigated	0.009 (Hectare)	0.009

46	822/3/2	Private	Residential	0.026 (Hectare)	0.026
47	858/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
48	867/1	Government	Seda	0.03 (Hectare)	0.03
49	867/2	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
50	868	Government	Well	0.01 (Hectare)	0.01
51	869	Private	Irrigated	0.03 (Hectare)	0.03
52	870	Private	Irrigated	0.027 (Hectare)	0.027
53	872/1	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
54	872/2	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
55	872/3	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
56	873	Private	Residential	0.011 (Hectare)	0.011
57	895	Government	Charagah	0.013 (Hectare)	0.013
58	896/1/1	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
59	896/1/2	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
60	896/2	Private	Irrigated	0.005 (Hectare)	0.005
61	897/1	Private	Irrigated	0.012 (Hectare)	0.012
62	897/2	Private	Irrigated	0.008 (Hectare)	0.008
63	897/3	Private	Irrigated	0.006 (Hectare)	0.006
64	898	Government	Charagah	0.012 (Hectare)	0.012
65	907	Private	Irrigated	0.018 (Hectare)	0.018
66	908	Private	Irrigated	0.053 (Hectare)	0.053
67	909	Private	Irrigated	0.023 (Hectare)	0.023
68	914/1	Private	Irrigated	0.001 (Hectare)	0.001
				Total	2.9291

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director